न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 349/2022

वादीगण–

जगदीश पुत्र श्री हंसाराम,
जाति जाट, निवासी मोड़ीकलां तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :

1– रामकिशोर पुत्र श्री खिंवराज
जति जाट निवासी गौरड़ी चांचा, तहसील डेगाना, जिला नागौर
2– खींवराज पुत्र श्री मंगलाराम
3– गीतादेवी पुत्री श्री उगराराम
4– पुखराज पुत्र श्री उगराराम
5– प्रेमाराम पुत्री श्री उगराराम
6– मनोज पुत्र श्री उगराराम
7– सुहाना पुत्री बाजूदेवी पुत्री उगराराम
जातियान जाट, निवासीगण मोड़ी कलां,
तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
8– तहसीलदार, रियांबड़ी
9– पटवारी हल्का, मोड़ी कलां
10– शाखा प्रबन्धक, आई. सी. आई. सी. बैंक लि. शाखा पुष्कर
11– शाखा प्रबन्धक, राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भैरून्दा
12– शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा डेगाना

दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 6/11/24

श्रीमानजी, वादी के वाद के तथ्य निम्न है–

1. यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 एक ही परिवार के सदस्य है। सभी हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है।
2. यह है कि मौजा मोड़ी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 3.7100 हैक्टेयर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि आई हुई है। उक्त खसरा की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है। नकल खतौनी व साथ में पेश है।
3. यह है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 के पूर्वजों की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 को उत्तराअधिकार में प्राप्त हुई इस प्रकार वादग्रस्त खसरा पैतृक भूमि है।
4. यह है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 23 रकबा 3.71 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्यके का 1/4, 1/4 प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 1/16,1/16 हिस्सा व प्रतिववादीगण संख्या 6 व 7 1/32,1/32 हिस्सा बिना बंटा

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर

हुआ काश्त व कब्जासुद आया हुआ है मगर वादग्रस्त खसरा का बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादीगण के बीच मध्य बाई मिठ एण्ड बाउण्ड नहीं हो रखा है।

5. यह है कि विवादित खसरा संयक्त खातेदरी का होने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया प्रतिवादीगण बदनियति से अन्य लोगों के साथ मिलावट करके बिना बंटवाड़ा करवाये ही वादग्रस्त खसरा को बैचान करने में आमादा हो रखे है यदि प्रतिवादी अपने नापाक ईरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णय क्षति होगी जिससे वीद को दावा करना आवश्क हुआ जिससे वाद पेश है।

6. यह है कि प्रतिवादी सं. 8 तहसीलदार रियांबड़ी भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादीगण संख्या 9 रेकर्ड संधारण करने से व प्रतिवादीगण संख्या 10 से 12 के यहा भूमि रहन दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया है।

7. यह है कि वाद कारण दिनांक 30.09.2022 को जब प्रतिवादीगण ने विवादित खसरा से वादी को बेदखल करने काश्त व कब्जा में बाधा व अन्तरण करने व वादी का रास्ता रोकने की एलानिया धमकिया दी तब बेमुकाम मोड़ीकलां पैदा हुआ ।

8. यह है कि मालियत बगर्ज कोर्ट फीस व समायत अखितयार अदालत वाला के दावा बंटवाड़ा का होने से निर्धारित न्यायशुल्क के स्टाम्प रूपये 2/के पेश है। अदालत वाला को दावा समायत का हक हासिल प्राप्त है।

9. यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा के निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमाई जावें कि :

(अ). यह है कि मौजा मोड़ीकलां की सरहद में खेत स्थित खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 3.7100 हैक्टेयर की भूमि नजरी नक्शा परिशिष्ठ क के अनुसार दर्शित 1/4 हिस्सा पर वादी का सेपरेट पजेशन बंटवाड़ा बाई मिट एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर अलग–अलग खातेदारी इन्द्राज की जावे व नक्शा में तरमीम कि जावे तथा बिगोड़ी की रकम अलग की जावे।

(ब). यह है कि दिगर दादरसी मुफिद दी हो अतः फरमाई जावें।

वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को तलब किया गया बावजुद तामिल अनुउपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही की गई पत्रावली वास्ते शहादत रखी गई वादी के बयान लिये गये तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाई गई तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई पत्रावली में बहस सुनी जाकर खसरा नम्बर 23 रकबा 3.71 हैक्टेयर वाके मौजा मोडीकलां का माफिक तहसीलदार रिपोर्ट में बंटवाड़ा स्कीम में द्वितीय भाग में दर्शित के अनुसार 1/4 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 का 1/4, प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/4 व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 का बंटवाड़ा कायम किया जाकर बंटवाड़ा स्कीम के द्वितीय भाग के नजरी नक्शा के माफिक सभी का आम रास्ता पर बंटवाड़ा कायम किया जाकर अलग–अलग राजस्व नक्शे में तरमीम कर खातेदारी इन्द्राज अलग की जावे। एवं बिगोड़ी अलग कायम की जावे। एवं तहसीलदार रियांबड़ी की बंटवाड़ा की मौका रिपोर्ट पेश की गई। उसी माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 10.10.2024 के अनुसार वादी का वाद निर्णय व डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार रिपोर्ट व नक्शा भाग द्वितीय के माफिक जो निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

माफिक निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी